भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4415

दिनांक 19 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

बाढ़ से क्षतिग्रस्त शहरी अवसंरचना का पुनरूद्धार

4415. श्री देवेश शाक्य:

श्री नीरज मौर्य:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त शहरी अवसंरचना के पुनरुद्धार के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी की गई और उपयोग की गई कुल निधियों का राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदित समय-सीमा से अधिक विलंब अथवा लागत में वृद्धि के मामलों सहित राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज जिलों के लिए कितनी पुनरुद्धार परियोजनाएं स्वीकृत, पूरी की गई और लंबित पड़ी हैं;

(ग) क्या बाढ़ से क्षतिग्रस्त शहरी अवसंरचना के पुनरुद्धार से संबंधित कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के पास लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर एटा और कासगंज जिलों में इस विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या तृतीय पक्ष तकनीकी संपरीक्षा अथवा उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) की समीक्षा के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन में किसी कमियों अथवा निधियों के अन्यत्र उपयोग की पहचान की गई है और ऐसी परियोजनाओं में कार्यान्वयन संबंधी अनियमितताओं का पता चला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): अधिसूचित आपदाओं के ध्यान में रखते हुए आवश्यक राहत/पुनर्स्थापन उपायों को प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करती है और आवश्यक लॉजिस्टिक्स एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा

प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल है।

शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2021-26 की अवधि के दौरान मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के सात शहरों में आवंटन और न्यूनीकरण उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

शहर	**न्यूनीकरण उपाय**	**एनडीएमएफ* (रूपए करोड़ में)**	**राज्य (रूपए करोड़ में)**
मुंबई	6	500	207.71
पुणे	17	250	228.22
हैदराबाद	4	250	69.53
कोलकाता	6	500	150.43
बेंगलुरु	12	250	25
अहमदाबाद	6	250	25
चेन्नई	5	500	61.29
कुल	**56**	**2500**	**767.18**

*एनडीएमएफ- राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि

इस आवंटन में से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए, जबकि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद, प्रत्येक के लिए 250 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। चेन्नई के परियोजना प्रस्तावों को 27 नवंबर 2023 को अनुमोदित किया गया और शेष शहरों के प्रस्तावों को 25 जुलाई 2024 को सामूहिक रूप से अनुमोदित किया गया था। कुल आवंटन की 30% राशि की पहली किश्त सभी सात शहरों को जारी कर दी गई है।

शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के **दूसरे चरण में** ग्यारह शहर, गुवाहाटी, पटना, कानपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और रायपुर शामिल हैं। कुल आवंटन की 30% राशि की पहली किश्त गुवाहाटी शहर को जारी कर दी गई है। आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

शहर का नाम	एनडीएमएफ शेयर	राज्य का हिस्सा	कुल
भोपाल	200	22.22	222.22
भुवनेश्वर	200	22.22	222.22
गुवाहाटी	200	22.22	222.22
जयपुर	200	22.22	222.22
कानपुर	200	22.22	222.22
पटना	200	22.22	222.22
रायपुर	200	22.22	222.22
तिरुवनंतपुरम	200	22.22	222.22
विशाखापत्तनम	200	22.22	222.22
इंदौर	200	22.22	222.22
लखनऊ	200	22.22	222.22
कुल	**2200**	**244.42**	**2444.42**

शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, जल निकायों के पुनरुद्धार आदि क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आवास और शहरी विकास मंत्रालय की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 222.14 करोड़ रुपए की छह परियोजनाओं और कासगंज जिले में 81.73 करोड़ रुपए की चार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।
